

पटना उच्च न्यायालय, पटना
सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में सूचना दिनांक 28.02.2017 के द्वारा शुरू की गई सामान्य श्रमिक (दैनिक वेतन भोगी) की भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः निरस्त किया जाता है।

इच्छुक अभ्यर्थी, माननीय उच्च न्यायालय की सूचना दिनांक 13.11.2020 के आलोक में पुनः आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं।

दिनांक :- 17.11.2020

आदेशानुसार

Anamika

प्रभारी महानिबंधक

पटना उच्च न्यायालय, पटना